(b) whether these matters were looked into; and

(c) if so, result thereof and, if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH) : (a) to (c) the irregularities etc., if any, are noted in the course of audit and mentioned in the audit report. The audit report for each year, along with the relevant Annual Accounts, are placed on the Table of the House annually.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल किये गये हैं, यह जवाब उन के बारे में नहीं है । मैंने प्रश्न किया था कि चोरी, इरेगुलैरिटीज, स्टाक में कमी और आग से कितना नुकसान हुआ है.....(**व्यवधान**).....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Since there was half a minute, I permitted him.

SHRI RANGA : Sir, it is wrong on your part to have permitted it..... (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Since there was a little time left, I allowed him to ask one question. Is it improper? I cannot understand it.....(*Interruptions*)

श्री प्रेम चन्द वर्मा : इन्होंने जवाब में कहा है कि यह सब लेखा-रिपोर्ट में दिया हुआ है । लेखा-रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है और इसी वजह से मैंने सवाल किया था.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Come to the question now. No *Lekha Samiti* now.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या यह दुरुस्त है कि अशोक होटल में टेण्डर-काल किये बगैर माल खरीदा गया ? क्या यह भी सत्य है कि अशोक होटल में कई कमरे खाली होने पर भी कस्टमर्ज को एलाट नहीं किये गये हैं और उन को खाली रखा गया ?.....(**व्यवधान**).....

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

SHRI S. K. TAPURIAH : Sir, may I.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : No more supplementaries. I have passed on to the Short Notice Question.

SHRI S. K. TAPURIAH : Sir, I am not asking any supplementary. Sir, you would have read this question and also the answer. When will such irrelevant questions and answers stop? The answer is entirely different from the question put. After so much notice has been given to a question if the Ministers indulge in such negligence, what is the method of putting a stop to that? That is my question to you, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : If any hon. Member is not satisfied with an answer to a question, he can ask for a half an hour discussion on that.

SHORT NOTICE QUESTION

मध्य प्रदेश में एक हरिजन नेता की मृत्यु

+

S.N.D. 12. श्रीमती मिनीमाता भगवान गुरु : श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश के मुंगेली क्षेत्र में गत नवम्बर में एक विख्यात हरिजन नेता भागबलि की हत्या हो गई है और इसी स्थान पर गत जनवरी में भी 5 हरिजन मारे गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र के हरिजनों में इस घटना से आतंक फैल गया है तथा वह अपनी भूमि तथा सम्पत्ति छोड़ कर वहां से भाग रहे हैं; और

(ग) स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि यह सत्य नहीं है कि इस घटना से उस क्षेत्र के हरिजनों में भय की भावना फैल गई है अथवा यह कि वे उस क्षेत्र से अपनी भूमि तथा सम्पत्ति छोड़ कर कहीं अन्यत्र भाग रहे हैं।

(ग) हमला करने वाले पांचों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

श्रीमती मिनीमाता अगमदास गुरु: क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि वहां चुनाव होने वाले हैं और श्री भागबलि उस चुनाव में एक उम्मीदवार थे? क्या उन की हत्या राजनीतिक कारणों से की गई है?

श्री विद्या चरण शुक्ल: राज्य सरकार ने जो सूचना दी है, उसके अनुसार यह बात ठीक जान पड़ती है कि वहां म्युनिसिपल चुनाव होने वाले हैं और श्री भागबलि उसमें उम्मीदवार थे। चूंकि उन की हत्या हो गई है, इस लिये उस वार्ड के चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं। इसके पीछे किसी तरह की कोई राजनीतिक बात थी या नहीं इस के बारे में कहना मुश्किल है।

श्रीमती मिनीमाता अगमदास गुरु: क्या यह सही है कि वहां हरिजनों को भयभीत करने के लिये पुलिस उन्हीं के परिवारों को बुलाकर गिरफ्तार कर रही है और उनको पीटा जा रहा है?

श्री विद्या चरण शुक्ल: राज्य सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई है उस के अनुसार वह कहते हैं कि वहां ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी पुलिस के द्वारा वहां जांच पड़ताल की जा रही है।

श्री हुकम चन्द कछवाय: आपकी पुलिस क्या कर रही है?

श्री विद्या चरण शुक्ल: हमारी पुलिस जांच कर रही है।

श्री मधु लिमये: उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब मैंने इस प्रश्न का नोटिस दिया था उस समय इस घटना के अलावा मद्रास राज्य के अकोट जिले में भी इसी प्रकार की जो घटना हुई थी जिसके बारे में मेरे पास तार आया है, उस की सूचना भी मेरे प्रश्न में दी गयी थी। मुझे बतलाया गया चूंकिमिनिमाता जी का प्रश्न स्वीकारा गया है, इस लिये आप का नाम उसमें जोड़ा जा रहा है। जब मेरा नाम उसमें जोड़ा जा रहा था तो मद्रास राज्य का मामला भी उस के साथ जोड़ दिया जाता। इस लिये उस मामले की भी जानकारी मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा।

जो जानकारी मेरे पास है, उस के अनुसार मैं सबसे पहले इस बात का खुलासा करना चाहता हूं– मैं किसी दलीय राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं– कहीं जनसंघ की सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है या और किसी दल की है, कांग्रेसी सरकार हो या गैर-कांग्रेसी सरकार हो–चूंकि सब तरह की घटनायें सब जगह हो रही हैं-इस लिये मेरा प्रश्न यह है कि क्या सतनामी नेता भागबलि की जो हत्या हुई है, उस हत्या में स्वर्ण लोगों के द्वारा पुलिस अधिकारियों पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है? उसको एक घरेलू मामला बनाने के लिये मृतक यानी मरे हुए नेता के नाती को गिरफ्तार किया गया है तथा जो उनकी विधवा है उनको तथा उसके घर को एक तरह से घेरा हुआ है? क्या यह जानकारी सही है?

दूसरी बात–अकोट जिले की घटना के बारे में मंत्री महोदय कह सकते हैं कि मेरे पास नोटिस नहीं है, लेकिन यदि सूचना है तो उसकी भी जानकारी दें?

मैंने सुना है कि हरिजनों पर जो अत्याचार समूचे देश में हो रहे हैं, उनकी जांच करने के लिये एक संसदीय कमेटी बन गई है ऐसा मैंने जेल में पढ़ा था। अगर बन गई है तो क्या इस मामले को भी इस कमेटी के पास भेज

दिया जायेगा ? अगर नहीं बनी है तो क्या इस तरह की कमेटी बनाई जायगी जो मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश या अन्य किसी जगह पर ऐसी घटनायें हों तो उनकी जांच कर सके ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसा माननीय सदस्य ने कहा है—इस तरह की शिकायतें अवश्य आई हैं कि वहां कुछ अनुचित दबाव डाला जा रहा है । ये शिकायतें सच हैं या नहीं—इसके बारे में अधिकृत रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता । परन्तु राज्य सरकार ने इसका खंडन किया है कि इस तरह का कोई अनुचित दबाव डाला जा रहा है ।

जहां तक उनके नाती के गिरफ्तार करने का सवाल है, जो सूचना राज्य सरकार ने भेजी है, वह अप-टु-डेट नहीं है । यह घटना शायद अभी कुछ ही दिन पहले हुई है, इस लिये हम उनसे पता लगायेंगे कि यह सच है या नहीं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक संसदीय कमेटी का सवाल है मुझे ठीक से नहीं मालूम कि कब अपोइंट हुई, या हुई या नहीं । पर अगर हुई होगी तो उसके जो टर्म्स आफ रेफरेंस होंगे उसके अन्तर्गत जो भी हम सहयोग दे सकते हैं पूर्ण रूप से देंगे ।

श्री मधु लिमये : संसदीय कमेटी में तो इनको कुछ नहीं करना होता है । आप दोनों मामलों को भेज दें ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हम लोगों की तरफ से सम्पूर्ण रूप से सहायता और सहयोग इस मामले में दिया जायेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जो मध्य प्रदेश में घटना हुई है उसके बारे में अनेक संसद् सदस्यों को तार आये हैं और एक तार मेरे पास भी आया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस उल्टा मृतक के रिश्तेदारों को फंसा रही है, गवाहों को थाने में निर्ममतापूर्वक पीट कर कई दिनों तक भूखे रख कर, उनके वास्तविक बयान पलट कर, कलम बन्दी करा कर और जो वास्तविक अपराधी हैं उनको बचाने का षड्यंत्र कर रही है । उपाध्यक्ष महोदय, वहां सरकार किसकी है इससे कोई सम्बन्ध नहीं । गैर कांग्रेसी सरकार में भी हरिजनों के साथ अन्याय हो सकता है, कांग्रेसी सरकार में भी हो सकता है । इसलिये इस मामले को पार्टी का रूप देने की आवश्यकता नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार अपने गुप्तचर विभाग द्वारा इस मामले की और इस तरह के अन्य मामलों की जांच कराने के लिये तैयार है । वह जांच राज्य सरकार के खिलाफ हो इसकी आवश्यकता नहीं है । मगर दोनों समानान्तर जांच हो सकती हैं जिससे तथ्यों का पता लग सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, काशी का समाचार है कि काशी विद्यापीठ में हरिजन विद्यार्थियों को पीटा गया, 39 विद्यार्थी अभी तक पीटे जा चुके हैं । मैं जानना चाहता हूं कि ये समाचार आ रहे हैं, गृह-मंत्रालय इस बारे में क्या कर रहा है, या राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है । क्या ऐसे मामलों में केन्द्रीय जांच के लिये गृह-मंत्री तैयार हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : ऐसे सब मामलों में हमारी जो एजेन्सीज हैं उनके द्वारा रिपोर्ट अवश्य प्राप्त करते हैं । पर यह उचित है कि इस तरह के मामलों में जो राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत रूप से हमें बताया जाय उसी को मान कर चलें और उसी पर अपनी कार्यवाही आधारित करें । माननीय सदस्य ने जो शिकायतों का विवरण दिया है मैं कहना चाहता हूं कि इन शिकायतों के बारे में हम राज्य सरकार से जरूर पूछताछ करेंगे और कहेंगे कि इस तरह की शिकायत न हो इसका इंतजाम करें ।

श्री कंवर लाल गुप्त : इन्होंने यह पूछा था कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा इस तरह के केसेज की जांच करवायेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने कह दिया कि करते हैं ।

SHRI SHANKARANAND : I am sorry to say that in this country there is the police force to protect the properties, either private or Government. It is simply most regrettable that there is no police force to protect the human beings in this country. Ever since I became a Member of Parliament, I have seen that serious notice of the atrocities on the Harijans is taken in the House but we find it otherwise outside the House in the country. As my hon. friend Shri Vajpayee said it is not a question of Party.

We have been seeing this in every State, whether it is ruled by the Congress or by any opposition party. These things are going on. So, I want to know whether the Home Ministry is going to create a police force for the protection of Harijans - a Harijan police force. There is the Reserve Police for the boundary and for the industries and other things. I want to know whether they are going to create a police force for the protection of Harijans, mainly manned by the Harijans, because the caste-Hindu police officers do not look into the interests of the Harijans. What steps are the Government going to take in this matter?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : As is well known, police is a State subject, and there is no question of any Central Police Force for this purpose. But during the last Chief Ministers' conference in May 1968, the Home Minister took this matter specially with the Chief Ministers and pleaded with them that the entire weight of the administration should be put to protect and promote the interests of the weaker sections of society. This has been our pleading with them, and the Chief Ministers have assured us that they will try to do this.

श्री राम सेवक यादव : महोदय, गये साल से हरिजनों पर हो रहे अत्याचार की खबरें रोज अखबारों में छपती हैं और यहां भी कभी कभी उनकी गूंज हो जाती है, और मैं समझता हूं कि गृह-मंत्री महोदय ने इस पर कोई खास तौर से जांच करायी होगी । और अगर ऐसा किया होगा तो मैं जानना चाहूंगा हरिजनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बुनियादी कारण क्या हैं, किसलिये हो रहे हैं ? और साथ साथ क्या यह भी सत्य है कि जो पुलिस अधिकारी हैं बजाय उनकी रक्षा करने के जो उन पर अत्याचार करते हैं उनका ही साथ देते हैं । दूसरे जो काशी विद्यापीठ में हरिजन विद्यार्थियों के साथ कार्यवाही हुई, उनको तंग किया गया, पीटा गया उसकी जानकारी अगर मंत्रालय को है तो मंत्रालय ने उसमें दखल देकर के रोकने के लिये क्या प्रयास किये ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह बात तो ठीक है कि इनके मूल प्रश्नों की जड़ में जाना चाहिये और पता लगाना चाहिये कि किस तरह से हम रोक सकते हैं । मैं समझता हूं कि जो संसदीय समिति स्थापित की गई है वह इस बात की जांच पड़ताल जरूर करेगी ।

जहां तक पुलिस की शिकायतों का सवाल है, यह बात ठीक है कि इस तरह की शिकायतें समय समय पर आती रहती हैं । यह बात भी ठीक है कि हर जगह ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं अवश्य होता है कि पुलिस अपने कर्त्तव्य को छोड़कर इस तरह की कार्यवाही करे, इस तरह की शिकायत आये उनकी जांच पड़ताल की जाती है और जहां दोषी पाये गये उनके खिलाफ कार्यवाही की गई ।

काशी विद्यापीठ के बारे में मेरे पास कोई इस समय सूचना नहीं है ।

श्री गा० रां० मिश्र : 12 तारीख को भागबली के नाती को पुलिस द्वारा पकड़ कर मारा पीटा गया । माननीया संसद् सदस्या के गांव में इनको तंगाया गया, इनकी पूछ हुई, 12 तारीख को आये, वे वहां नहीं थीं । इनकी जान को खतरा है । क्या मंत्री जी इन्हें प्रोटेक्शन देंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की है उसे हम राज्य सरकार के पास भेजेंगे और कहेंगे कि समुचित जांच पड़ताल करके जो उचित कार्यवाही हो करें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हरिजनों पर जो अत्याचार होते हैं जिसकी वजह से मकान जलाये जाते हैं, उनको मारा जाता है, लूटा जाता है तो उनको तत्काल कोई सहायता मिले, चाहे आर्थिक सहायता मिले, इसके लिये मंत्री महोदय कुछ व्यवस्था करने जा रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से विचार केन्द्रीय सरकार करेगी ?

क्या यह बात भी सही है कि इस समय जो पुलिस के द्वारा नाना प्रकार के अत्याचार इन हरिजनों पर किये जाते हैं तो सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी कि आज जितने प्रतिशत हरिजनों को पुलिस में लेना चाहिये, उतने वह नहीं लिये जाते हैं, अधिक मात्रा में पुलिस के अफसरों और जवानों में हरिजनों को भरती करें, ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक इन को मुआवजा देने का सम्बन्ध है यह चीज साधारण तौर पर राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और जहां-जहां कोई खास सुरक्षा हो, जैसे मुंगेली कांड में प्रधान मंत्री कोष से कुछ रुपया उनकी सहायता के लिये भेजा गया था । पर इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और मैं समझता हूं कि वे अपनी जिम्मेदारी को निभाती हैं ।

जहां तक पुलिस फोर्स में भरती का सवाल है यह बात ठीक है कि इसमें कहीं-कहीं कमी रह जाती है । और कुछ ही दिन पहले गृह-मंत्रालय के द्वारा जो केन्द्रीय सरकार के फोर्सेज हैं या जो राज्य सरकारों के अन्तर्गत आते हैं, उनका ध्यान विशेष रूप से इस बात पर दिलाया गया है, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि इस बात का विशेष प्रयत्न करना चाहियें कि इनकी भरती समुचित रूप से हुआ करे ।

श्रीमती मिनीमाता अगमदास गुरु : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि मुंगेली कांड के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की ओर से जो सहायता दी गई थी वह, बावजूद इसके कि उन लोगों के खाने-पीने और खेती बारी की कोई व्यवस्था नहीं है, रकम अभी तक बांटी नहीं गई है तो उसका क्या कारण है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल: मेरे पास पूरी सूचना तो नहीं है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है प्रधान मंत्री के कोष से बीस हजार रुपए की रकम दी गई थी । राज्य सरकार ने यह सूचना दी कि चार या पांच हजार रुपए वहां बांटे गए हैं और बाकी रकम के बारे में राज्य सरकार ने पूछ-ताछ की थी कि किस तरह से बांटा जाए ।

श्रीमती मिनीमाता अगमदास गुरु: उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह रिपोर्ट भेजी है कि वहां पर पूर्णतया शान्ति है लेकिन वहां पर पूरे गांव के हरिजन भागकर दूसरी जगह चले गए हैं । और अभी भागबली के दसगात्र के समय जबकि वहां पर दस-बीस हजार आदमी इकट्ठा थे तो वे मुझको फोर्स कर रहे थे कि सभी लोग यहां से मार्च करें और चलकर केन्द्रीय सरकार से पूछें कि हमको कहां पर बसाना है और हमारी सुरक्षा की क्या व्यवस्था करनी है क्योंकि वहां पर उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है । लेकिन मैंने उनको रोक दिया था ।

श्री विद्या चरण शुक्ल: उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं लेकिन हमें तो राज्य सरकार द्वारा दी गई जो अधिकृत सूचना है, उसी पर निर्भर करना पड़ता है । लेकिन माननीय सदस्या जो बातें हमारे ध्यान में लाई हैं, हम राज्य सरकार के ध्यान में वह बातें लायेंगे और उनसे कहेंगे कि उसकी समुचित व्यवस्था करें ।

SHRI M.SOLANKI : May I know from the Home Minister, are there any fundamental rights and privileges given by the Constitution to the Harijans that they are beaten by the Caste Hindus without any charge of criminal proceeding against them by the law lame liar lawyers in the court lawlessness of caste Hindus?

SHRI VIDVA CHARAN SHUKLA : In his own way, the hon. Member is trying to invite the attention of the House to this very serious problem. We have had occasions of discussing it. It is a problem that exists and we have to tackle it.

SHRI K. LAKKAPPA : Right from the Prime Minister to the common man in India they should search their hearts and say whether it is not a fact that in many States, Harijans have been burnt alive and murdered by Caste Hindus and Harijans women raped. These are the serious conditions we are having after 20 years of independence. May I know, whether the Government of India would give new thought to this problem, re-orient their policy and see if any special provisions are necessary to meet the situation? Will the Government of India find out a new device, evolve a new formula, to see that the oppressed and suppressed Harijan people are uplifted and they enjoy equality before law?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Because of the various incidents in the past few months, this parliamentary committee has been appointed to look into the entire problem.

SHRI K. LAKKAPPA : Apart from the parliamentary committee, have you evolved any new device at all?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The point of the hon. Member is quite correct. Because everybody has said like that, this committee was appointed.

SHRI RANGA : Is it correct that Harijans are wiped away?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I only said the point he was making is correct.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Equality before law that was the main point.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I am not saying that the information he has given to this House is correct. The point he is making that there are distressing reports of atrocities on Harijans from various States coming in is correct. That is why this Parliamentary committee has been appointed to go into the root causes of this problem. We shall also consider what action should be taken in this matter. It is not as if the Government of India is ignorant of this problem or it is not cognizant of what is happening.

SHRI R. D. BHANDARE : Since a number of heartrending stories are pouring in from all parts of the country it is but natural that the Minds of Members of Parliament are bound to be agitated and exercised. The hon. Minister of State has said there are two channels through which they get information. The first channel is the State where such incidents take place and the second channel is their own. I want to ask, firstly, as to what use Government make of the information got through their own channels, whether they simply keep the information in storage or whether they act on the information which they get through their own channels. and secondly, in view of these stories, whether Government intend to make it a special responsibility of the Governor to give protection to Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes or whether the Government will take upon itself, specially the Home Ministry will take upon itself, through some device, if necessary even by amending the Constitution, the responsibility of giving protection to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The reports that we get from our own channels are extremely useful to us for determining our own attitudes and policies and in judging the questions when they are posed before us. So, it is not that this information that we get is not used. That is valuable information and we use it extensively for our purposes.

SHRI R. D. BHANDARE : What action is taken after you get the information?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have said that whenever we have to decide a particular issue or have to take a particular attitude on a particular question this forms our background information and it helps us to arrive at right conclusions in questions which we are supposed to decide.

As far as the question of making practical arrangements for protection is concerned, the hon. House knows that people belonging to the Scheduled Castes are spread all over the country in various villages and to set up a parallel police specially for this purpose under the Central Government is an impractical thing. We all wish that it should be done in a practical and effective manner. I am also sure that the State administrations try to do it. There have been difficulties and deficiencies. That is obvious. The Home Minister, as I stated earlier, has stressed upon the Chief Ministers that the entire weight of the administration must be put for giving protection to these weaker sections of our society and that they should do their best to promote their interest. We keep on doing that from time to time.

श्री शिव नारायण : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई सवालात किए गए हैं । विम्मा रेड्डी के केस का मैं ने इस हाउस में रेज किया था । यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है और सौभाग्य से इस समय इस सदन में हमारे प्रधान मंत्री, उपप्रधान मंत्री और गृह-मंत्री, तीनों ही उपस्थित हैं । हम स्वयं भुक्तभोगी हैं । आज मेरे घर में पुलिस बैठी हुई है । मेरे यहां ही चोरी हुई है और मुझे ही पुलिस को खिलाना पड़ रहा है । मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, सबको लिखा लेकिन कोई सुनवाई होने वाली नहीं है और न पुलिस पता लगा सकती है कि क्रिमिनल कौन है । कोई भी पुरसां-हाल नहीं है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार हमारी प्रोटेक्शन का इन्तजाम नहीं कर सकती है तो फिर हमको अन्डमान या किसी दूसरे टापू में भेज दिया जाए या फिर सरकार पूरी जिम्मेदारी ले और हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करे । यह बड़े दुख का विषय है कि हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते हैं । तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, उसी का गली गली में प्रचार हो रहा है, रेलवे में प्रचार हो रहा है और सर्विसेज में हमारे मिनिस्टर्स और हमारे नेताओं को गालियां दी जा रही हैं । इस देश में आज ये सब चीजें हो रही हैं । सरकार का काम है कि इन सब चीजों को देखे, और हम तो जो रीयल फैक्ट्स हैं वहीं बता रहे हैं । अगर उसपर एक्शन नहीं लिया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उसको जाने ।

यह एक बहुत गम्भीर समस्या है । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी इस मामले में पोलिटिकल गेम खेला जा रहा है । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में जो हरिजनों के लड़के पढ़ने को आते हैं उनका अनादर व उपहास किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि चमार, भंगी लोगों के लड़के आने से विश्वविद्यालय अपवित्र हो रहा है । जब ऐसी हालत वहां पर मौजूद है तो हमारा विश्वविद्यालय अलग कर दिया जाय ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Madhu Limaye, you have made a suggestion regarding reference to a specific matter. I will consider it. Now, Papers to be laid.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये निदेश का लागू करना

*727. **श्री जी० ब० सिंह :**
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री शारदानन्द :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार महीनों में कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकारों द्वारा जारी किये गये आदेशों तथा निदेशों को पूर्णतया लागू नहीं किया है;